दिल्ली उच्च न्यायालय : नई **दिल्ली**

निर्णय की तिथि : 09 जनवरी, 2023

रि.या.(सि) 101/2023 और सि.वि.आ. 343/2023, 344/2023

कार्यवाही समिति गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कमल गुप्ता, श्री स्पर्श अग्रवाल और सुश्री परिधि बिस्ट, अधिवक्तागण (एम-9560173511)

बनाम

शिक्षा निदेशालय .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री गौतम नारायण, अति.स्था.अधि. सह उन्मुक्त गेरा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह

<u>प्रतिभा एम. सिंह, न्या.</u> (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता- दिल्ली की कार्यवाही समिति गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय (पंजीकृत) द्वारा दायर की गई है। उक्त सोसायटी

का पंजीकरण 19 मई, 1998 को किया गया था और दिल्ली में इसके सदस्यों के रूप में 671 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। चूंकि रिट याचिका 671 स्कूलों के लिए लाभ की मांग कर रही है, रजिस्ट्री इस रिट याचिका के संबंध में न्यायालय फीस की गणना करेगी और याचीगण चार सप्ताह के भीतर उक्त न्यायालय फीस जमा करेंगे।

3. इस रिट याचिका में 24 नवंबर, 2004 और 17 नवंबर, 2022 के दो परिपत्रों के खिलाफ शिकायत है, जिसके द्वारा विद्यालयों के प्रबंधकों के लिए योग्यताओं को प्रत्यर्थी - शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (इसके बाद 'डीओई') द्वारा अनिवार्य बनाया जा रहा है।

4. याचीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता, श्री गुप्ता का कहना है कि 24 नवंबर, 2004 के परिपत्र के माध्यम से, सोसाइटी के सामान्य निकाय और प्रबंधक के लिए योग्यताओं के लिए दिशानिर्देश, प्रबंधन की योजनाओं के अनुमोदन के लिए उक्त तिथि के बाद दायर किए जाने वाले आवेदनों के संदर्भ में, निर्धारित किए गए थे।

5. यह उनका निवेदन है कि इस विशेष परिपत्र को निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ कभी भी लागू नहीं किया गया है, खासकर अगर उनकी प्रबंधन की संबंधित योजनाओं को उक्त तिथि से पहले ही डीओई (DoE) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। उनका आगे कहना है कि हाल ही में, 17 नवंबर, 2022 के परिपत्र द्वारा, 24 नवंबर, 2004 के उक्त परिपत्र को दिल्ली में सभी

निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के साथ-साथ अल्पसंख्यक विद्यालयों के खिलाफ भी लागू करने की मांग की जा रही है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता इससे व्यथित है।

6. याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (इसमें इसके बाद *'डीएसई अधिनियम'*), की धारा 3 दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 (इसमें इसके बाद 'डीएसई नियम') के नियम 43 और 50 के साथ-साथ अधिनियम और नियमों की योजना का भी संदर्भ निम्नलिखित पर बहस करने के लिए दिया गया है :-

(i) कि प्रबंधक विद्यालय का कर्मचारी नहीं है।

ii) कि जहां तक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों का संबंध है, डीओई के पास प्रबंधकों के लिए योग्यता निर्धारित करने की शक्ति नहीं होगी । उक्त शक्ति विशुद्ध रूप से संबंधित स्कूलों के प्रबंधन के साथ निहित है।

iii) डीएसई अधिनियम और डीएसई नियमों के तहत, केवल शिक्षकों की योग्यता डीओई द्वारा निर्धारित की जा सकती है जिसका पालन सभी विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

7. वह ***टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481,*** में संविधान पीठ के निर्णय के अनुच्छेद 55 से 60 पर अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए भरोसा जताते हैं। उनका समग्र निवेदन यह है कि जहां तक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों का संबंध है, चूंकि उक्त विद्यालयों को चलाने के लिए कोई भी धनराशि सरकार से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए प्रबंधन की स्वायत्तता को

मान्यता दी जानी चाहिए और उसमें इस तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

8. डीओई (DoE) के लिए उपस्थित विद्वान अतिरिक्त स्थाई अधिवक्ता, श्री गौतम नारायण, प्रस्तुत करते हैं कि 24 नवंबर, 2004 के इस परिपत्र को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्ड पीठ द्वारा ***सतभरवन आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल व एक अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य*** शीर्षक वाली रिट याचिका सिविल सं. 4608/2013 और ***सतभरवन आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल व एक अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य*** शीर्षक वाली एल.पी.ए. सं. 196/2017 में बरकरार रखा गया है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि ये आदेश सहायता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में पारित किए गए थे।

9. अतिरिक्त स्थाई अधिवक्ता, श्री नारायण, प्रस्तुत करते हैं कि कई निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को वर्ष 2004 के बाद प्रबंधक के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं का पालन करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और उक्त नोटिसों को कोई चुनौती नहीं दी गई है। जहां तक 2004 के परिपत्र जारी करने से पहले स्वीकृत प्रबंधन की योजनाओं का संबंध है, न्यायालय के एक प्रश्न पर, वे प्रस्तुत करते हैं कि इस मुद्दे को ***दिल्ली सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधन संघ बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य*** शीर्षक वाली ***रिट याचिका सं. 11462/2021*** में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा एक प्रश्न के रूप में विरचित किया गया है।

10. यह उनका निवेदन है कि इस बात के बावजूद कि प्रबंधक को स्कूल का कर्मचारी माना जाना है या नहीं, प्रबंधक के लिए योग्यताएं डीएसई अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित की जा सकती हैं जो 1973 के अधिनियम की धारा 3, धारा 27 और धारा 28(1) के साथ ही 1973 के नियमों के नियम 43 से स्पष्ट है ।

11. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक प्रबंधक की योग्यता के बारे में डीओई (DoE) के प्रावधान से, डीओई (DoE) में निहित शक्तियों के मद्देनजर, निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रशासनिक स्वायत्तता में अनुचित हस्तक्षेप नहीं होगा ।

12. अतिरिक्त स्थाई अधिवक्ता, श्री नारायण ने यह प्रस्तुत करने के लिए संकलन को अभिलेख पर रखा है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वर्ष 2004 के बाद, उक्त परिपत्र को निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के खिलाफ लागू करने की मांग की गई है।

13. इस न्यायालय ने इन परिपत्रों पर उन विद्यालयों के संदर्भ में विचार किया है जो ***केरल एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली बनाम शिक्षा निदेशक, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार*** शीर्षक वाली ***रि.या. सं. 8113/2021*** और ***इसके प्रबंधक के माध्यम से सेंट मार्टिन्स डायोसेसन स्कूल व अन्य बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य*** शीर्षक वाली ***रि.या. सं. 17273/2022*** में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं।

14. वर्तमान रिट याचिका में निम्नलिखित से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं:-

i) निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों के संबंध में प्रबंधक के लिए योग्यता निर्धारित करने हेतु दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम व नियमों के तहत शिक्षा विभाग की शक्ति।

ii) यह प्रश्न कि यदि उक्त योग्यताएं, यदि निर्धारित कर दी जाती हैं, तो प्रकृति में केवल अनुशंसात्मक हो सकती हैं या उन्हें प्रकृति में अनिवार्य बनाया जा सकता है।

iii) यह प्रश्न कि क्या शैक्षिक संस्थानों जो निजी और गैर-सहायता प्राप्त हैं की स्वायत्तता पर ***टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (सुप्रा)*** में निर्णय के संदर्भ में न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता होगी।

15. न्यायालय ने अल्पसंख्यक संस्थानों से संबंधित मामलों में पारित आदेशों पर विचार किया है और उसकी राय है कि कानूनी मुद्दों के न्यायनिर्णयन की आवश्यकता होगी। तदनुसार, रिट याचिका में नोटिस जारी किया जाए। एक जवाबी शपथ पत्र चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाए। प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, तो उसके बाद चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। डीओई (DoE) यह स्पष्ट करेगा कि क्या 2004 के परिपत्र में 'मान्यता प्राप्त' शब्द का अर्थ केवल डीओई (DoE) द्वारा मान्यता प्राप्त होगा या देश के अन्य हिस्सों से भी मान्यता प्राप्त होगी।

16. इस बीच, यह निम्नानुसार निर्देशित है :-

(क) जहां तक उन विद्यालयों का संबंध है जिनकी प्रबंधन की योजनाओं को 2004 से पहले अनुमोदित किया गया था और उनके द्वारा प्रबंधन की योजनाओं के संबंध में आगे कोई अनुमोदन नहीं मांगा जा रहा है, जो प्रबंधक पहले से ही कार्यरत हैं या जिन्हें इन विद्यालयों द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा।

(ख) हालांकि, उन प्रबंधकों के मामले में, जो नए नियुक्त हुए हो सकते हैं, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल जो याचिकाकर्ता के सदस्य हैं, उन योग्यताओं पर विचार करेंगे जो निर्धारित की गई हैं क्योंकि वे संस्थानों के समग्र हित में हो सकती हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक इस तरह के प्रबंधक के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से योग्यता होने का संबंध है, उक्त मान्यता किसी भी राज्य से हो सकती है और केवल दिल्ली में मान्यता प्राप्त संस्थान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अन्य राज्यों के अनुभवी व्यक्तियों को भी दिल्ली के विद्यालयों में नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(ग) यदि प्रबंधकों की योग्यताएं परिपत्र दिनांकित 24 नवंबर, 2004 सहपठित परिपत्र दिनांकित 17 नवंबर, 2022 के अनुसार नहीं हैं, तो सुनवाई की अगली तारीख तक, ऐसे निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि इससे इन विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों छात्र प्रभावित हो सकते हैं।

17. न्यायालय को सौंपे गए संकलन को अभिलेख पर रखा जाए।

18. दिनांक 14 मार्च, 2023 को अभिवचनों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध करें।

19. दिनांक 18 मई, 2023 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करें।

प्रतिभा एम.सिंह न्यायाधीश
न्यायमूर्ति

09 जनवरी, 2023
एमआर/एच एच

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।